पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 35 / 2018–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

/पटना, दिनांक

विषय– A.I.C.T.E. के मापदण्ड के अनुसार विभागान्तर्गत 2 (दो) अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा 10 (दस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के परिसर में वर्गकक्ष, स्टाफ रूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के लिए पोर्टेबुल केबिन के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत कुल रू॰ 23,85,66,700=00 (तेईस करोड़ पचासी लाख छियासठ हजार सात सौ रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू॰ 1,20,00,000=00 (एक करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–732, दिनांक 25.02.2019 के द्वारा A.I.C.T.E. के मापदण्ड के अनुसार विभागान्तर्गत 2 (दो) अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा 10 (दस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के परिसर में वर्गकक्ष, स्टाफ रूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के लिए तत्काल पोर्टेबुल केबिन के निर्माण कार्य हेतु कुल रू॰ 23,85,66,700=00 (तेईस करोड़ पचासी लाख छियासठ हजार सात सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू॰ 15,00,00,000=00 (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को विमुक्त प्रदान की गई है।

2. राज्य सरकार ने उक्त स्वीकृत कुल रू॰ 23,85,66,700=00 (तेईस करोड़ पचासी लाख छियासठ हजार सात सौ रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू॰ 1,20,00,000=00 (एक करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त विमुक्त राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के राज्य स्कीम बजट के ''मुख्यशीर्ष– 4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105 –इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102– पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग /तकनीकी महाविद्यालय'' के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43– 4202021050102 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त॰), (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

5. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना स्थित पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से पी॰एल॰ खाता न॰ PLA 157 (K8448001200007) में जमा किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 35/ 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 35/ 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 35/ 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 35/ 2018– 878 /पटना, दिनांक– 8/3/019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/उप निदेशक (त॰)/ विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/19
सरकार के उप सचिव